

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह

द्वारा वांछित/वारण्टी/गैंगेस्टर/अवैध

असलहा/बलात्कार/पोक्सो आदि से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण-

थाना-बिलरियागंज

पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा मय फोर्स के महाअभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तार के दृष्टिगत आज दिनांक 02.09.2020 को अण्डाखोर तिराहा पर मौजूद थे कि उसी दौरान मोहम्मदपुर रोड की तरफ से आ रहे व्यक्ति को रूकने का इशारा किया तो वह पुलिस बल पर लक्ष्य कर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। गोली थानाध्यक्ष के कनपटी के पास से निकल गयी। पुलिस बल द्वारा सिखलाये गये तरीको से अपनी जान बचाते हुए लुक छिपकर एक बारगी घेरकर उचित बल प्रयोग कर अभियुक्त को समय 04.10 बजे सुबह पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रियाज अहमद पुत्र अब्दुल हई निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ बताया जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज पिस्टल, दो अदद मैगजीन, एक अदद खोखा कारतूस, दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तारी एव बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं- मु0अ0सं0 142/2020 धारा 307 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़। 2. मु0अ0सं0 143/2020 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़ पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

1. रियाज अहमद पुत्र अब्दुल हई सा0 मोहम्मदपुर, थाना बिलरियागंज आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 142/2020 धारा 307 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 143/2020 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़

बरामदगी

1. एक अदद नाजायज पिस्टल
2. दो अदद मैगजीन
3. दो अदद जिन्दा कारतूस
4. एक अदद खोखा कारतूस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना बिलरियागंज मय हमराह जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य मय हमराह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
3. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

थाना दीदारगंज

25 हजार रुपये का ईनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित/ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 02.09.2020 को थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दीदारगंज व उ 0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय व उनि0 जावेद अख्तर मय हमराहियान कर्मचारीगण के साथ मार्टिनगंज से भादो की तरफ से जा रहे थे कि जैसे ही गैस गोदाम बनगाँव मार्टिनगंज से आगे पहुँचे कि तभी भादो की तरफ से एक मोटर साईकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिये जो पुलिस की गाडी में लगी नीली बत्ती देखकर संदिग्ध अवस्था में बनगाँव मोड़ पर मुड़े तभी मोटर सायकिल लडखडाई और पिछे बैठे व्यक्ति ने मोटर साईकिल से कूदकर पुलिस वालो को लक्ष्य बनाकर जान मारने की नियत से फायर कर दिया तथा खेतो की तरफ भागने लगा। पुलिस बल द्वारा सिखलाये हुए तरिके से अपना बचाव करते हुए दौडकर एक बारगी घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करके उक्त व्यक्ति को समय 4.55 बजे सुबह गिरफ्तार कर लिया गया तथा दूसरा व्यक्ति अन्धेरा का फायदा उठाकर मोटर साईकिल से भागने में सफल रहा। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम जितेन्द्र पुत्र स्व 0 बलिहारी ग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया जो थाना स्थानीय के मु 0अ0स0 128/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैरेस्टर एक्ट में नामजद है। जिसके उपर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा रुपया 25000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर देशी व एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। फरार अभियुक्त का नाम पता पुछने पर उसने उसका नाम उदयराज पुत्र रामस्वरुप ग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0स0 141/20 धारा 307 भा0द0वि0 2. मु0अ0सं0 142/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

जितेन्द्र पुत्र स्व0 बलिहारीग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0स0 141/20 धारा 307 भा0द0वि0 थाना दीदारगंजए जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 142/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना दीदारगंजए जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 12/19 धारा 420 भा0द0वि0 थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 64/19 धारा 419,420 भा0द0वि0 थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 88/19 धारा 419,420 भा0द0वि0थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 128/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैरेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 141/20 धारा 307भा0द0वि0 थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 142/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

फरार अभियुक्त

उदयराज पुत्र रामस्वरुप ग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

- 1 अदद कट्टा ,1 अदद जिन्दा कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- 1.थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दीदारगंज मय हमराह जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना दीदारगंज मय हमराह जनपद आजमगढ़।
- 3.उनि0 जावेद अख्तर थाना दीदारगंजए जनपद मय हमराह आजमगढ़।

नोट. अभियुक्त के उपर 25,000 रु का नकद ईनाम पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा पूर्व में घोषित है

थाना सरायमीर

नकबजनी से सम्बन्धित वाँछित अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत दिनांक 01.09.2020 को उ0नि0 श्री रामकृष्ण सिंह थाना सरायमीर मय हमराह द्वारा बस्ती नहर पुलिया के पास मु0अ0सं0 48/20 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471/474 भादवि से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त अली अहमद उर्फ अली हलन उर्फ पप्पू नट पुत्र अकबाल अहमद को समय करीब 15.50 बजे एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तारी किया गया, जिसके विरुद्ध मु0अ0सं0 162/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अली अहमद उर्फ अली हलन उर्फ पप्पू नट पुत्र अकबाल अहमद निवासी खौरा थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 162/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 48/20 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471/474 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 162/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

बरामदगी

एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 रामकृष्ण सिंह थाना सरायमीर मय हमराह जनपद आजमगढ़।

थाना महाराजगंज
पाक्सो एक्ट में वांछित गिरफ्तार

महिला सम्बन्धित संगीन अपराधो पर रोकथाम लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक महोदय सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 02.09.2020 को **उ0नि0** श्री छुन्ना सिंह मय हमराही द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 179/20 धारा 354 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र रघूनाथ सा0 कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम कुड़ही से समय 06.40 बजे दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 179/20 धारा 354 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त -

सोनू पुत्र रघूनाथ सा0 कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री छुन्ना सिंह मय हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

थाना कप्तानगंज

02 वांछित गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में चलाये गये अभियान में आज दिनांक 02.08.2020 को प्रभारी निरीक्षक आनन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में ब0उ0नि0 कृष्णानन्द प्रसाद मय हमराहीयान द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 97/2020 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1. रवि यादव पुत्र रामजीत यादव साकिन फतेहपुर मानिकपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर 2. सुबाष कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद ग्राम शाहपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर को तहसील बूढनपुर कार्यालय से समय 09.20 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. रवि यादव पुत्र रामजीत यादव साकिन फतेहपुर मानिकपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर उम्र करीब 27 वर्ष
2. सुबाष कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद ग्राम शाहपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 97/2020 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

ब0उ0नि0 कृष्णानन्द प्रसाद

थाना पवई

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 02.09.2020 को चकिया तिराहे के पास से मु0अ0सं0- 64/20 धारा 323, 325,504, 506,308 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.अवधेश यादव पुत्र राजाराम यादव 2. विन्देश पुत्र स्वर्गीय मिठाई यादव 3.सुरेश पुत्र सूर्यभान उर्फ टिहुली यादव निवासीगण ग्राम अण्डिका थाना पवई जनपद आजमगढ़ को समय करीब 09.30 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 64/20 धारा 323, 325,504,506,308 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1.अवधेश यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी ग्राम अण्डिका थाना पवई जनपद आजमगढ़
2. विन्देश पुत्र स्वर्गीय मिठाई यादवनिवासी ग्राम अण्डिका थाना पवई जनपद आजमगढ़
- 3.सुरेश पुत्र सूर्यभान उर्फ टिहुली यादव निवासी ग्राम अण्डिका थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 सुनील कुमार सरोज मय हमराह थाना पवई जनपद आजमगढ़।

मेहनगर

आज दिनांक 02.09.2020 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस आधिकारिक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल प्रवेक्षण में प्र0नि0 दुजेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह, निरीक्षक अपराध राजेश कुमार मिश्र, का0 इन्द्रपाल यादव, का0 राजेश यादव, का0 गोलू यादव, का0 यशवन्त कुमार द्वारा मु0अ0सं0 124/20 धारा 394/120बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रामचन्दर उर्फ रुदल सा0 असौसा थाना मेहनगर आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम असौसा से समय 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 124/20 धारा 394/120बी/411 भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

रामचन्दर उर्फ रुदल सा0 असौसाथाना मेहनगर आजमगढ़

बरामदगी

2000 रुपया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 दुजेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
2. निरीक्षक अपराध राजेश कुमार मिश्र थाना मेहनगर मय हमराह जनपद आजमगढ़।